

भाकूअनुप-केन्द्रीय आनू अनुसंधान संस्थान  
क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ

दिनांक 29 अप्रैल, 2024

पत्रांक संख्या- एफ-5-5/नालवा/2024-25/210  
सेवा में,

CPRIC वेबसाइट

विषय- गेहू के नालवे की बिक्री हेतु कोटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।  
महोदय,

इस कार्यालय के सी0ब्लॉक, मछरी व पाबली प्रक्षेत्र पर नालवा बिक्री हेतु उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति गेहू का नालवा खरीदने के लिये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने अधिकतम रेटस सी0ब्लॉक मछरी व पाबली प्रक्षेत्र के लिये लिफाफे में इस कार्यालय में दिनांक 8-5-2024 तक दोपहर 2.00 बजे तक प्रेषित करें। कोटेशन उसी दिन दिनांक 8-5-2024 को दोपहर 4.00 बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जायेगी। यदि उक्त तिथियों में कोई अवकाश पडता है तो कोटेशन अगले कार्य दिवस में उपरोक्त समयानुसार ही स्वीकार एवं खोली जायेगी।

कोटेशन बन्द लिफाफे तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में सी0ब्लॉक, मछरी व पाबली प्रक्षेत्र पर गेहू के नालवे की बिक्री हेतु कोटेशन लिखा होना चाहिये।

कोटेशन के साथ प्रक्षेत्र के सामने दर्शाई गई निम्नानुसार धरोहर राशि का Bank draft/NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन बैंकिंग की मूल प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के कोटेशन मान्य नहीं होगी। बैंक ड्राफ्ट CPRIC, Modipuram के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्हेडा कोड नं0-3067 पर देय होना चाहिये। NEFT/RTGS/UPI या अन्य कोई ऑनलाईन बैंकिंग माध्यम से धरोहर राशि जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत है:-

बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा पल्हेडा-3067 खाता संख्या-10172900089 IFSC Code: SBIN0003067

प्रक्षेत्र	एरिया	धरोहर राशि
मछरी प्रक्षेत्र	44.90 ha (लगभग)	25000/-
सी0ब्लॉक	9.71 ha (लगभग)	15000/-
पाबली प्रक्षेत्र	4.7 ha (लगभग)	7000/-

नियम एवं शर्त-

- कोटेशन के साथ आधार कॉर्ड एवं पैन कॉर्ड की प्रति लगानी अनिवार्य है।
- कार्य आदेश प्राप्त करने के पश्चात नालवे का सम्पूर्ण भुगतान केशलेश माध्यम से जैसे-बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पीओएस मशीन से ही स्वीकार्य होगा।
- जिस व्यक्ति के नालवे के रेटस अधिकतम होंगे, उसको नालवे का पूरा भुगतान कार्यालय आदेश प्राप्त करने के पश्चात तुरन्त कार्यालय में जमा कराना होगा।
- नालवा एक सप्ताह के अन्दर संबंधित प्रक्षेत्र से स्वयं काटकर तथा स्वयं के वाहन से उठाकर ले जाना होगा।
- संबंधित प्रक्षेत्र से किसी भी तरह के यंत्र, ट्रेक्टर तथा श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।
- कोटेशन स्वीकृत होने पर यदि कोटेशन दाता समय सीमा में नालवे का उठान नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और इस विषय पर कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- मौसम अथवा अन्य किसी कारणवश नुकसान होने की स्थिति में ठेकेदार/कोटेशनदाता स्वयं ही जिम्मेदार होगा। इसलिये सलाह दी जाती है कि कोटेशनदाता अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित प्रक्षेत्र का भ्रमण कर लें एवं तदानुसार ही अपने रेटस दें।
- अन्य शर्तें यदि कोई हों तो कार्य शुरू होने से पहले बता दी जायेंगी, जिसे मानने के लिये आप बाध्य होंगे।
- कर नियमों के अनुसार यदि कोई कर देय होगा तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कोटेशनदाता की होगी और कार्यालय कटौती हेतु पूर्ण स्वतंत्र होगा।

वितरण:-

- नोटिस बोर्ड- मोदीपुरम, सी0ब्लॉक मछरी व पाबली प्रक्षेत्र।
- शाम प्रधान दौराला, सिवाया, चिन्दाँडी, पाबली, पबरसा।

  
प्रभारी अधिकारी

मछरी (44.90ha) सी0ब्लॉक (9.71 ha) व पाबली प्रक्षेत्र (4.7 ha) पर गेहूं के नालवे की कोटेशन हेतु प्रोफार्मा

कुल हे0	दर प्रति हे0	कुल योग
मछरी (44.90ha) (लगभग)		
सी0ब्लॉक (9.71 ha) (लगभग)		
पाबली प्रक्षेत्र ( 4.7 ha) (लगभग)		

क्रम संख्या	कुटेशन दाता का विवरण
1- नाम	
2- पूरा पता	
3- मोबाईल नं0	
4- आधार नं0	
5- PAN Card No.	
6- GST No.	
7- धरोहर राशि जमा करने का विवरण	

कृपया उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रति भी प्रारूप के साथ संलग्न करें।

दिनांक:-

हस्ताक्षर